अकेले ही खोल सकेंगे कंपनी, स्टार्टअप की राह आसान

छोटी कंपनियों के लिए पूंजीगत आधार 50 लाख से बढ़ाकर दो करोड़

अब छोटी कंपनियों के पूंजीगत आधार सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। वहीं, ऐसी कंपनियों का टर्नओवर भी दो करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे दो लाख छोटी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा।

नई दिल्ली। अब आप आसानी से अकेले ही अपनी कोई कंपनी खोल सकेंगे या फिर स्टार्टअप समेत कुछ नया काम शुरू कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कारोबार की राह आसान बनाने के लिए कुछ पाबंदियों में ढील दी है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, एकल व्यक्ति वाली कंपनियों (ओपीसी) पर लगी पाबंदियों में कुछ छूट दी गई है। इससे स्टार्टअप और कुछ नया काम शुरू करने में लगे व्यक्तियों को फायदा होगा। वहीं, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अब देश में ओपीसी बना सकेंगे। साथ ही छोटी कंपनियों के गठन को प्रोत्साहित करते हुए इनके पेडअप कैपिटल (पूंजीगत आधार) और टर्नओवर को बढ़ाया गया है। ये बदलाव एक अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने के दौरान ये एलान किए थे। मंत्रालय के मुताबिक, अब कंपनी कानून के तहत एक स्टार्टअप का दूसरे स्टार्टअप और छोटी कंपनियों से विलय की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इससे खास तौर पर उत्पादों की आपूर्ति करने वाले और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेवाएं देने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी मामलों के सचिव राजेश वर्मा ने कहा, इन कदमों से कारोबारी सुगमता बढ़ेगी और कंपनियों को मंजूरी लेने के बोझ से भी छुटकारा मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया कि ओपीसी के गठन को मंजूरी देने वाले संशोधनों को कंपनी कानून, 2013 में शामिल किया गया। इससे किसी भी समय किसी भी कंपनी को सार्वजनिक या निजी में बदला जा सकेगा।